75

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1846-तीन/1998 - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-6-1998 - पारित व्दारा - अपर बंदोवस्त आयुक्त,म0प्र0ग्वालियर - प्रकरण कमांक 20/1992-93 अपील

सदानन्द पुत्र रामप्रताप ब्राहमण
ग्राम कडियार तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामप्रकाश पुत्र मंगलदीन राम शुक्ला
2- रामसहोदर 3- रामसखा
पुत्रगण रामकृपाल शुक्ला
4- मथुराप्रसाद 5- यज्ञानारायण
पुत्रगण रामऔतार शुक्ल
6- शिवानन्द पुत्र रामप्रताप राम शुक्ल
सभी ग्राम कडियार तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7 - 08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 20/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-98 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामप्रकाश राम पुत्र मंगलदीन ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम कडियार की रामप्रताप एंव रामसखा, मथुराप्रसाद के नाम की भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 7-18 एकड़ पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसील न्यायालय से सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक-1 को प्रकरण अंतरित होने पर क्रमांक 71 अ-6 अ/1989-90 पर पॅजीबद्व किया गया तथा पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 29-6-1991 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया गया। रामप्रकाश राम पुत्र मंगलदीन ने इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक 170/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-1992 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक-1 का आदेश दिनांक 29-6-1991 निरस्त कर दिया तथा निर्देश दिये कि वह वर्ष 1987-88 के कब्जे के संबंध में जांच कर नियमानुसार कब्जा अंकित करने की कार्यवाही की जाय। बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 14-9-1992 के विरूद्व अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर बंदोवस्त आयुक्त,म0प्र0ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 20/ 1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-98 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों पर विचार करने से परिलक्षित है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक-1 ने आदेश दिनांक 29-6-1991 से दावाकर्ता रामप्रकाश राम पुत्र मंगलदीन का कब्जा दर्ज करने का आवेदन बेरूम्याद होने से निरस्त किया है जिस पर बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक 170/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-1992 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करके

प्रकरण पुनः जांच हेतु वापिस किया है जिसके कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0 प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 26-6-98 पारित करते समय बंदोवस्त अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि उभय पक्ष को सहायक बंदोवस्त अधिकारी (अब तहसीलदार) के समक्ष पक्ष रखने एंव लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। आवेदक जिस अनुतोष की मांग इस न्यायालय से कर रहे है वही अनुतोष पाने का उपचार उन्हें सहायक बंदोवस्त अधिकारी (अब तहसीलदार) के यहां उपलब्ध है जिसके कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 20/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-98 में अथवा बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-98 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर